Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-633/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 04 Date 06.01.2020

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार, पटना।

विषयः- बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 (अधिसूचना संख्या-12/नि.-1035/91का०-2310, दिनांक-14.03.1997) में संशोधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के गठन के लम्बे अंतराल के बाद वर्ष 1997 में इस संवर्ग के पदाधिकारियों के सेवा शर्त्तो के निर्धारण हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 को 14 मार्च, 1997 में पहली बार अधिसूचित किया गया था, जिसकी छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राज्य के राजस्व, विकास, निर्वाचन एवं आपदा सहित विधि-व्यवस्था संधारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यो के सफल निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे है तथा प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। परन्तु सरकार के इतने महत्वपूर्ण कार्यो के निष्पादन में भूमिका निभानेवाले पदाधिकारियों के सेवा संवर्ग नियमावली में विगत 23 वर्षो में कोई संशोधन नही किया गया है।

भवदीय अवगत है कि आप ही की पहल पर वर्ष 2010 में इस सेवा संवर्ग की भूमिका को प्रशासन में बेहतर एवं प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से इसका पूर्णगठन किया गया था। पदाधिकारियों की संख्या भी सीमित कर मात्र 851 रखी गई थी। इस पूनर्गठन से अपेक्षा थी कि महत्वपूर्ण पदों पर अपेक्षाकृत युवा पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाए। परन्तु आज की तिथि में भवदीय के इस सुधारात्मक ध्येय को अपेक्षित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका और इसका परिणाम यह है कि इस संवर्ग के पदों की संख्या लगभग दोगुनी (1600 से भी अधिक) कर दिया गया। प्रोन्नति के उच्चतम पायदान पर अधिकतर पद रिक्त है

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-633/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

सत्यमेव जयते

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No .... Date ....

और वर्तमान स्थिति यह है कि जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति 1992 में हुई भी उनमें से भी अधिकांश अभी अपर समाहर्त्ता स्तर के पद पर ही कार्यरत हैं। राज्य सेवा के ही अन्य संवर्ग के प्रोन्नति से यदि तुलना की जाए तो पता चलता है कि बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार लेखा सेवा इत्यादि संवर्ग के समकक्ष पदाधिकारियों को काफी पहले ही संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष पदों पर प्रोन्नति दी जा चुकी है।

लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं होने के कारण एवं दूसरी सेवाओं के कनीय पदाधिकारियों के वरीय स्तर के पद पर प्रोन्नति होने से इस सेवा के पदाधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक पारदर्शी सेवा संवर्ग नियमावली के नहीं होने के कारण भी इस तरह की विसंगति में वृद्धि होती जा रही है।

बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों में कालांतर में इतनी विसंगतियाँ आ गई हैं कि इस संवर्ग के पदाधिकारियों के पदस्थापन या प्रोन्नति या वेतन विसंगति के मामलों में अपेक्षित एवं न्यायोचित लाभ ससमय लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई ऐसे मामले हैं जिसे विभाग के स्तर पर निर्धारित अवधि में सामान्य तौर पर निष्पादित किया जा सकता था, परन्तु निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण संघ को बाध्य होकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है।

राज्य के कई सेवाओं के संवर्ग नियमावली में समय-समय पर बिहार सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किए गए हैं, यथा **बिहार न्याय (उच्च) सेवा नियमावली संशोधन**, 2011। किन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा, जो बिहार सरकार की कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग रहा है, अभी तक इस मामले में उपेक्षित है।

अन्य राज्यों में भी राज्य असैनिक/प्रशासनिक सेवा संवर्ग के नियमावली में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन निम्न प्रकार से किए गए है:-

(1) हरियाणा असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) नियमावली, 2008
(2) केरल प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2017

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-633/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No .... Date ....

(1) हरियाणा असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) नियमावली, 2008

(2) केरल प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2017

(3) जम्मू एवं कश्मीर प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2008

अतः महोदय से अनुरोध है कि देश के विभिन्न राज्यों के राज्य प्रशासनिक सेवा नियमावली के अनुकरणीय प्रावधानों को अंगीकृत करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1996 में संशोधन करने तथा इस सेवा संवर्ग की विसंगतियों को दूर करने हेतु संबंधित को निदेश देने की कृपा की जाए ताकि इस संवर्ग के पदाधिकारियों को पदस्थापन/प्रोन्नति/ वेतन/सेवा शर्त्त जैसे सामान्य मामलों में भी ससमय न्यायोचित एवं अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्ष नही करना पड़े।

अनुलग्नकः-यथोक्त।

विश्वासभाजन

6/1/2020

(अनिल कुमार)

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

24 फाल्गुन 1918 (श०)

(सं० पटना, 93) पटना, सोमवार, 16 मार्च, 1997

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996

अधिसूचना

14 मार्च 1997

जी०एस०आर० 6, दिनांक 16 मार्च 1997—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(i) यह नियमावली "बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996" कही जायेगी।

(ii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषा—इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "बिहार प्रशासनिक सेवा" से अभिप्रेत है राज्य की प्रशासनिक सेवा।
(ख) "संवर्ग पदाधिकारी" से अभिप्रेत है बिहार प्रशासनिक सेवा का सदस्य।
(ग) "कोटि" से अभिप्रेत है वेतनमान के अनुरूप पदों का वर्गीकरण जो संवर्ग में विनिर्दिष्ट है।
(घ) "संवर्ग पद" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-4 द्वारा निर्दिष्ट अनुसूची के रूप में राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा परिभाषित पद।
(ङ) "राज्य" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य।
(च) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग।
(छ) "वर्ष" से अभिप्रेत है, पंचांग वर्ष।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का गठन—बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का गठन बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को मिलाकर होगा।

(4) संवर्गों की संख्या और संरचना :—

(1) नियम 3 के अधीन गठित संवर्गों की संख्या और संरचना का अवधारण राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाएगा और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और जबतक ऐसा प्रकाशन नहीं हो जाता तबतक यह इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पहले प्रवृत्त स्थिति में बना रहेगा।

(ii) राज्य सरकार प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर निम्नलिखित से गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर संवर्गों की संख्या और संरचना की समीक्षा करेगी :—

(क) मुख्य सचिव—अध्यक्ष

(ख) सदस्य, राजस्व पर्षद—सदस्य

(ग) वित्त सचिव—सदस्य

(घ) सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सदस्य

(ङ) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग—सदस्य

(च) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग—संयोजक

परन्तु यह कि उक्त समिति संवर्गों की संख्या और संरचना की समीक्षा करते समय तथ्य पर ध्यान रखेगी कि विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे पद अन्य संवर्गों के पदाधिकारियों द्वारा भी धारित किए जा रहे हैं तथा वह विभिन्न संवर्गों की नियमावली के उपबन्धों को समन्वित करने का प्रयास करेगी।

5. संवर्गीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति :—

(1) संवर्गीय पदाधिकारी को राज्य या केन्द्र सरकार के किसी विभाग में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा ;

(2) संवर्गीय पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा सेवार्थ निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा

(i) राज्य सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व या नियंत्रण वाले कम्पनी, व्यक्तियों के संगम या निकाय में चाहे वे नियमित हों अथवा नहीं, नगर निगम, स्थानीय निकाय बोर्ड या सहकारी समिति में,

(ii) किसी राष्ट्रीय संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या स्वशासी निकाय में, जो राज्य सरकार या निजी निकाय द्वारा नियंत्रित न हो, अथवा,

(iii) केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन या अधीन नियंत्रण वाले किसी कार्यालय में ;

परन्तु यह कि किसी भी संवर्गीय पदाधिकारी को उसकी सहमति बिना केन्द्र सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में तथा उपर्युक्त उप संख्या (i), (ii) एवं (iii) में उल्लिखित किसी संगठन या निकाय में बिना मांग के प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त उप-नियम (i), (ii), एवं (iii) के अधीन किसी संवर्गीय पदाधिकारी को किसी ऐसे पद पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा जिसके वेतनमान का अधिकतम उस पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किए जा रहे वेतनमान से कम हो जो वह अपने संवर्ग के धारित पद पर प्राप्त करता हो।

6. संवर्गीय पदों की पूर्ति संवर्गीय पदाधिकारी द्वारा की जाएगी [illegible] नियमावली के नियम-4 के अधीन यथा परिकलित कोटि में [illegible] संवर्गीय पदों की पूर्ति संवर्ग के संवर्गीय पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी।

परन्तु यह कि आपवादिक स्थिति में जब संवर्ग का कोई [illegible] पदाधिकारी [illegible] कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से अधिकतम छः माह से [illegible] के पद गैर-संवर्गीय पदाधिकारी से भरे जा सकेंगे।

7. संवर्ग नियंत्रण—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इस संवर्ग का नियंत्री विभाग होगा ;

परन्तु यह कि राज्य सरकार को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग [illegible] नियंत्रण पदाधिकारी की कुछ शक्तियों को राज्य सरकार के किसी उपयुक्त प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

8. कठिनाइयों का निवारण—यदि इस नियमावली के निर्वचन पर कोई प्रश्न उठे या इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार [illegible] प्रशासनिक सुधार विभाग इस पर निर्णय देगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(12/नि०-1035/91-का०—2310)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

पटना,

दिनांक 14 मार्च 1997

[illegible] हुलयर,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।